न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–3, अयोध्या।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–611/2026
कम्प्यूटर पंजीयन सं0 1296/2026
सी0एन0आर0 नं0 UPFZ010037022026

महेश वर्मा पुत्र कल्लू वर्मा निवासी मकसूदनपुर (नेतवारी) थाना तारून जिला अयोध्या/फैजाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....विपक्षी।

मु0अ0सं0–29/2025
धारा–318(4),351(3),352बी0एन0एस0
थाना–तारून,जनपद–अयोध्या।

जमानत आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र प्रार्थी/अभियुक्त महेश वर्मा द्वारा अन्तर्गत धारा–483 बी०एन०एस०एस०, मु०अ0सं0–29/2025, धारा–318(4),351(3),352 बी0एन0एस0 थाना–तारून, जनपद–अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इस प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है, न निस्तारित हुआ है और न विचाराधीन है।

3. प्रस्तुत प्रकरण में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी मुकदमा माधुरी देवी ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 सारतः इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया कि विपक्षीगण महेश कुमार वर्मा, मुकेश कुमार वर्मा ने अपनी भूमि गाटा सं0 1229 रकबा 0.02520हे0 के विक्रय की बात वादिनी के पति देवनरायन से किया, विपक्षीगण ने उक्त भूमि की कीमत 10लाख रूपया मांग किया और उक्त भूमि के विक्रय का मामला तय हुआ। वादिनी व उसके पति तथा वादिनी के पुत्र जितेन्द्र कनौजिया ने धीरे–धीरे करके विभिन्न तिथियों में विपक्षी मुकेश कुमार वर्मा को विभिन्न तिथियों में ऑनलाइन भुगतान कुल 7,29,000/–रूपये दिया गया तथा वादिनी व उसके पति तथा पुत्र ने कुल 2,71,000/–रूपये विपक्षी महेश कुमार वर्मा के बचत खाते में तथा ऑनलाइन जमा किया। इस प्रकार कुल 10,000,00/–वादिनी तथा उसके पति व पुत्र से गाटा सं0 1229 रकबा 0.0252हे0 स्थित ग्राम ऊँचगॉव, परगना पश्चिमराठ, तहसील बीकापुर जिला अयोध्या के विक्रय/बैनामा लिखने हेतु लिया गया। इसी बीच विपक्षीगण ने उक्त भूमि का बैनामा सरोज वर्मा पत्नी अरविन्द कुमार वर्मा के नाम कर दिया। जानकारी होने पर विपक्षीगण से बात करने पर मुकेश वर्मा ने दिनांक 22.07.2022 को मु0 10/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के हस्तलेख में इस बात को लिख दिया कि उक्त भूमि का बैनामा सरोज वर्मा के नाम कर दिया है और धोखाधड़ी करने का मामला स्वीकार किया है। वादिनी ने विपक्षीगण से कई बार पैसा वापस की बात कही तो उन्होंने धीरे–धीरे 2,50,000/–रूपये वादिनी के पति के खाते में

भेज दिया, शेष धनराशि नहीं दिया। विपक्षीगण को पैसे देने के बाबत वादिनी के पति ने यश बैंक से दिनांक 25.06.2022 को मु0 5,77,000/–रूपये 14प्रतिशत ब्याज पर ले रखा है। दिनांक 21.11.2024 को वादिनी व उसके पति विपक्षीगण के घर गए और 7,50,000/–रूपये वपस करने को कहा, जिस पर विपक्षीगण ने भद्दी–भद्दी गालियॉ देते हुए आइन्दा पैसे की मॉग करने पर जान से मारकर फेंक देने का कथन किया। उक्त प्रार्थनापत्र पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित थाने पर उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत हुआ।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी, फर्जी, बनावटी व मनगढ़न्त है,। वादिनी मुकदमा व प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार के मध्य काफी अच्छा व्यवहार रहता था। वादिनी मुकदमा के घरवाले जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे, उसमें प्रार्थी/अभियुक्त के पिता व परिवार से रूपया पैसा लेते थे और कार्य समाप्त हो जाने के बाद समय से प्रार्थी के घर का हिसाब किताब कर देते थे। वर्ष 2020 में वादिनी के पति ने प्रार्थी से मु0 3,50,000/–रूपया कई किश्तों में मकान निर्माण व दवा इलाज हेतु उधार लिया था, वही रूपया धीरे–धीरे प्रार्थी के खाते में कुल 2,71,0000/–रूपया दिया, शेष पैसा 79,000/–रूपया आज तक नहीं दिया, उसी बकाया रूपये की जब प्रार्थी ने लगातार मॉग करना शुरू किया तो वादिनी मुकदमा ने यह कहानी बनाकर झूठा मुकदमा पंजीकृत कर प्रार्थी का चालान करवा दिया है। सम्बन्धित गाटा सं0 1229 रकबा 0.2520हे0 भूमि के छः हिस्सेदार हैं, जिसमें से प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा मुश्किल से 42एयर है, ऐसी स्थिति में वादिनी मुकदमा के सौ की बात बिल्कुल फर्जी है। वाद की घटना 15.06.2022, 29.06.2022 ई0 के बीच की कही जाती है, गाली धमकी की बात की कोई घटना किस तारीख को घटित हुई, किसी का कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और घटना की प्रथम सूचना घटना के लगभग 2 वर्ष विलम्ब से अंकित करायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। मामला दीवानी प्रकृति का है, जिसमें प्रार्थी के जीवन को बर्बाद करने के उद्देश्य से वादिनी मुकदमा द्वारा फौजदारी वाद के रूप में अंकित कराया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 05.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी कथन किया गया है कि अपराध में अधिकतम 07वर्ष तक की सजा का प्राविधान है। अतः दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किए जाने हेतु आदेशित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त व उसके भाई द्वारा द्वारा वादिनी मुकदमा तथा उसके पति से भूमि विक्रय के नाम पर 10,000,00/–रूपये प्राप्त कर लिए गए तथा भूमि का विक्रय न करके उक्त रूपये हड़प लिए गए। अभियुक्त द्वारा मुकदमें की विवेचना के दौरान सहयोग भी नहीं किया गया एवं न्यायालय से अजमानतीय अधिपत्र निर्गत होने के पश्चात आत्मसमर्पण किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

7. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त तथा उसके भाई के विरूद्ध वादिनी मुकदमा तथा उसके पति व पुत्र से कुल 10,00,000/–रूपये लेकर अपनी भूमि का विक्रय

किए जाने की बात तय होने तथा उपरोक्त धनराशि प्राप्त होने पर भूमि का विक्रय किसी अन्य को कर देने एवं सम्पूर्ण रूपये वापस न करने का अभियोग है। इस प्रकार प्रकरण आर्थिक अपराध से सम्बन्धित है। वादिनी मुकदमा के पति द्वारा उक्त भूमि को क्रय करने हेतु बैंक से ऊॅची ब्याजदर पर ऋण भी लिए जाने का कथन है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के भाई द्वारा प्रकरण में शपथपत्र पर लिखकर धोखाधड़ी किए जाने की स्वीकारोक्ति की गई है। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त महेश वर्मा द्वारा कोई भी धनराशि वादिनी मुकदमा अथवा उसके पुत्र व पति को वापस नहीं की गई है। केस डायरी के परिशीलन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मामले की विवेचना के दौरान विवेचना में सहयोग नहीं किया गया तथा निरन्तर गायब रहा है एवं विवेचनाधिकारी द्वारा न्यायालय से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अजमानतीय वारण्ट प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विवेचना के दौरान यह प्रकाश में आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त अपनी चल सम्पत्ति को उठाकर ले जाता है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मतानुसार अपराध गम्भीर प्रकृति का है एवं प्रकरण के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त महेश वर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सम्बन्धित मु०अ0सं0–29/2025, धारा–318(4),351(3),352 भारतीय न्याय संहिता, थाना–तारून, जनपद–अयोध्या के प्रकरण में, निरस्त किया जाता है।

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0 3, अयोध्या।

दिनांक–19.06.2026